न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 40/2018 **दायरा दिनांक : 18.02.2018**

उनवान

1– रोशन बाई आयु साल पुत्री बूची लाल, पत्नी रामकुंवार, जाति मीणा, निवासी माण्डपुर, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– निर्मला बाई आयु साल पुत्री बूची लाल पत्नी गजानन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम बामली, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– हेमराज पुत्र श्री धन्नालाल दत्तक पुत्र श्री औकार, जाति मीणा, निवासी धूमरखेड़ी, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज, श्री हरिसिंह शक्तावत एवं

श्री एन के गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.02.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 06/2017 निर्णय दिनांक 14.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने अप्रार्थी रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, व 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम काचरी, तहसील अन्ता में खाता संख्या 156 में खसरा नम्बर 65 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 335 रकबा 7.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.84 हेक्टर, कुल 6 किता कुल रकबा 9.64 हेक्टर आराजी खाते दर्ज है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, उक्त आराजी पुश्तैनी है, जो अपीलांट व रेस्पोडेंट को विरासत में प्राप्त हुई है । उक्त आराजियात पूर्व में मृतक औकार के खातेदारी में दर्ज थी जिसका स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त आराजियात पुष्पा बाई व मोहनी बाई पुत्रियां व पत्नी हरकू बाई के खातेदारी में दर्ज हुई । पुष्पाबाई का स्वर्गवास दिनांक 29.10.1988 को हो जाने के बाद अपीलांट कम 1 व 2 का हिस्सा 1/3 खातेदारी में नाम दर्ज हुआ तथा औंकार की पत्नी हरकू बाई का स्वर्गवास दिनांक 5.11.1993 को हो जाने के पश्चात् हरकू बाई का हिस्सा 1/3 रेस्पोडेंट ने अवैध व कूटरचित वसीयत दस्तावेज के आधार पर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया । औंकार जी के कोई जायज पुत्र नहीं था, केवल मात्र दो पुत्रियां पुष्पा बाई व मोहनी बाई थी एवं औंकार की पत्नी हरकू बाई फौत हो जाने पर उक्त विवादित आराजियात दोनों पुत्रियां पुष्पा बाई व मोहनी बाई व उनके मृत्यु पर उनके वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेंट को बराबर खाते दर्ज होनी चाहिए थी । अपीलांट का उक्त विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा बनता है, अपने उक्त हिस्से की विभाजन व घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 259/2001 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 03.07.2003 को डिक्री हुआ तथा रेस्पोडेंट को खातेदार कृषक घोषित किया । जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पेश हुई जिसका निर्णय दिनांक 26.08.2004 को आंशिक रूप से स्वीकार

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की जाकर निर्णय दिनांक 03.07.2003 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर पत्रावली इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि अपीलाधीन दावे में कायम की गई तनकियात का उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांतों का भली भांति अवलोकन करने के बाद यदि आवश्यक हो तो उभयपक्षकारान को सुनवायी का पर्याप्त एवं उचित अवसर देकर पुनः विस्तृत एवं उचित निर्णय पारित करें । उक्त निर्णय की अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा दायर की गई, जो दिनांक 08.05.2015 को अपीलांट द्वारा उक्त अपील आगे कार्यवाही नहीं चाहने बाबत लिखकर खारिज करवा ली । उक्त निर्णय रेस्पोडेंट द्वारा खारिज करवाने पर न्यायालय हाजा का निर्णय बहाल रहा एवं पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के न्यायालय में जैरकार है । जहां पक्षकारों के हक हकूक नये सिरे से तय होने हैं । अपीलांट द्वारा उक्त पत्रावली में स्थगन चाहने हेतु प्रस्तुत किया, जो गैर कानूनी तरीके से विधि संगत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं कर खारिज करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 06.01.1996 से सम्पूर्ण खाता रेस्पोडेंट नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी का खाता संख्या 156 में से खसरा नम्बर 335 रकबा 7.10 हेक्टर में से 3.16 हेक्टर दक्षिणी व खसरा नम्बर 346 रकबा 0.84 हेक्टर कुल दो किता कुल रकबा 4.00 हेक्टर का बेचान बाबूलाल पुत्र श्री मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी गायत्री बिहार लाडपुरा जिला कोटा को दिनांक 10.03.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया जिसका रेस्पोडेंट को कोई कानूनन अधिकार नहीं था । नामान्तरकरण संख्या 56 आदेश दिनांक 06.01.1996 तहसीलदार मांगरोल के आदेश की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां हुई जिसका निर्णय दिनांक 26.04.2000 को इस आशय का पारित किया कि दोनों पक्षों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है प्रकरण के निस्तारण तक इंतकाल पर तनाजा शब्द अंकित किया जावे तथा दोनों पक्ष

(अशोक लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विवादित आराजियात का हस्तान्तरण, विक्रय या खुर्द बुर्द नहीं करके मूल वाद के अंतिम निर्णय तक राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखेगें । उक्त आदेश की रेस्पोडेंट द्वारा कोई अपील नहीं की गई एवं रेस्पोडेंट कम 2 ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के उक्त नामान्तरकरण में कूटरचित तरीके से रेस्पोडेंट कम 1 से धोखाधडी करते हुए षडयंत्रपूर्वक उक्त तनाजा शब्द को इन्तकाल से विलोपित कर दिया तथा रेस्पोडेंट मूल मिसल मुकदमा नं. 259/2001 सहायक समाहर्ता अन्ता को षडयंत्रपूर्वक न्यायालय से गायब करवा दिया । अतः अपीलांट को पुनः अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है । उक्त प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय होने हैं तथा रेस्पोडेंट द्वारा षडयंत्रपूर्वक उक्त विवादित आराजियात का नामान्तरकरण केवल मात्र हेमराज के नाम तस्दीक कर देने से वह उसका नाजायज लाभ उठाकर आराजियात को रहन, बेचान करना चाहता है जिसका रेस्पोडेंट को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गैर कानूनी तरीके से अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है क्योंकि उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018 अपास्त किया जावें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इन्होंने रेवेन्यु बोर्ड में राजीनामा से अप्राप्त करवायी । आर ए ए का फैसला आज भी लाय करेगा । काज आफ ऐक्शन बेचान कर लिया । इन्तकाल हेमराज के नाम खुल गया था । तहसीलदार को तनाजा हटाने की शक्ति नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

(उमेश लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि एक ही भूमि पर दो दावे नहीं हो सकते । पहले की फाईल गुम है कोई कार्यवाही नहीं दूसरा दावा कर दिया । पूर्व की जमीन व अब जमीन भिन्न है । राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है । काज आफ एक्शन से सिविल कोर्ट में गये वहां दावा खारिज हो गया । नामान्तरकरण सम्वत 2071 से 2074 तक में नोट में तहसीलदार के आदेश से तनाजा शब्द हटाया । इंतकाल की अपील करें यदि (तनाजा) गलत है । इन्होंने फाईल गुम होने बाबत नहीं लिखा । विधि द्वारा बाधित प्रकिया से दावा पेश किया जो खारिज योग्य है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2003 को डिक्री हुआ जिसमें रेस्पोडेंट कम 1 को खातेदार घोषित किया गया । इस निर्णय की अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.08.2004 को आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2003 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई । इस निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा की गई जो दिनांक 08.05.2015 को रेस्पोडेंट द्वारा दायर की गई । जो रेस्पोडेंट द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने बाबत लिखकर खारिज करवा ली गई । अतः इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.08.2004 बहाल रहा । चूंकि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि अपीलाधीन दावे में कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांतों का भली भांति अवलोकन करने के बाद यदि आवश्यक हो तो उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर देने के बाद पुनः विस्तृत एवं उचित निर्णय नये सिरे से विधिवत पारित करें । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है । जहॉ पक्षकारों के हकूक नये सिरे से तय होने हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2018 को पक्षकारों

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

को सुनकर एवं रेकार्ड का अवलोकन कर के निर्णित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा